राजस्थान सरकार (654)
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(30)नविवि/2016 पार्ट   जयपुर, दिनांक 16.8.17

16 AUG 2017

(समस्त) आयुक्त/सचिव,
विकास प्राधिकरण/नगर सुधान न्यास

विषयः—भूखण्ड विक्रय की अनुमति दिये जाने बाबत।

महोदय,

यह है कि राजस्थान सुधान न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17 में विभिन्न प्राधिकरण/न्यास अपनी आवासीय योजना बनाकर भूखण्ड/आवास का आवंटन किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के लिये आरक्षण का प्रावधान भी है। इस योजना में आवंटित भूखण्डों में विक्रय की 5 वर्ष तक अनुमति नही दी जाती हैं। 5 वर्ष आरक्षित दर का 10 प्रतिशत राशि लेकर विक्रय की अनुमति प्रदान करते है। 10 वर्ष पश्चात विक्रय का अधिकार होता है।

नगर विकास न्यास, कोटा में एक बार विक्रय करने की अनुमति दी जाती है, जो 2 वर्ष तक प्रभावी रखी जाती है। जबकि नियमों में इस तरह का कोई प्रावधान नही है। अतः एतद्वारा निर्देशित किया जाता है कि विक्रय की अनुमति राजस्थान सुधान न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अनुसार दी जावेगी, जो निम्नानुसार प्रभावी रहेगी। 2 वर्ष में उक्त विक्रय की अनुमति निरस्त नही होगी।

भवदीय

16/8/17

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव—प्रथम

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
5. जिला कलक्टर (समस्त) राजस्थान
6. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. श्री आर.के.पारीक विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजक भवन जेडीए, जयपुर के पास।
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण,
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
12. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)
13. रक्षित पत्रावली।

16/8/17

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम